ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र०क०147 / 12.....

	19819 1990 3090141 / 12				
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary			
22.4.18	नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनेष्ठ यंत्री श्री अजय उमाले सिहत श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपण । अभियुक्त सिहत श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ । प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है । उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत एक आवेदन पत्र स्वेच्छ्या पूर्वक पेश कर निवेदन किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त के द्वारा नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है । अतएव लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे । सुना गया । प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर इस नेशनल लोक अदालत में अभियुक्त के घारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से उन्मोचित / वोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के विरुद्ध जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये । प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है । आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुक्क प्रदाय हो । परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे । (सुनील कांकर एड.) (धमेन्द्र कुमार पांडे एड.) सदस्य सदस्य पीटासीन अधिकारी ख0पी0क0—21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0	परिवादी पक्ष			